प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़।

फोन / फैक्स नं0 05964–226685 ई–मेल:– eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 274/03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 14–05–2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला से सैल – रौतगढ मोटर मार्ग हेतु 4.769 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। विधिवत् स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित है–

शर्त संख्या 1– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.538 हे0 सैल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) ₹ 1363934.00 मात्र की धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है, जिसके चालान की प्रति संलग्न की जा रही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–सैल, पट्टी–सल्ला, तहसील–पिथौरागढ, जिला–पिथौरागढ़ की सिविल एवं सोयम वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 9.538 हे0 वनविभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिसकी भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण (म्यूटेशन) एवं खतौनी की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या 2– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानो पर यथोचित वृक्षा रोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रु0 2235000.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी हैं, जिसके चालान की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही हैं।

शर्त संख्या 3– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चत्तम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 दि0 05–02–09 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि ₹ 3333531.00 वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है, जिसके चालान की प्रति संलग्न की जा रही है।

शर्त संख्या 4– के अनुपालन में इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र पुनः संलग्न किया जा रहा है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी। (छायाप्रति संलग्न)।

शर्त संख्या 5– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त मदों में देय धनराशि ₹ 69,32,465.00 (रूपये उनसत्तर लाख बत्तीस हजार चार सौ पैसठ) मात्र को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से एकाउण्ट नं0 03710010105229 कॉरपोरेशन बैंक, लोधी कॉम्पलेक्स शाखा, ब्लॉक–11, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली–110003 में जमा कर दिया गया है। धनराशि का हस्तान्तरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

शर्त संख्या 6– के अनुपालन में इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र पुनः संलग्न किया जा रहा है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्य बल की संस्तुतियो एवं भूवैज्ञानिक के सुझावो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त संख्या 7– के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्र पुनः संलग्न किया जा रहे हैं। (छाया प्रति संलग्न)।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

:: वचनबद्धता प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला से सैल – रौतगढ मोटर मार्ग की एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

:: वचनबद्वता प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला से सैल – रौतगढ मोटर मार्ग के निर्माण के लिये जनपद कार्य बल की संस्तुतियो एवं भूवैज्ञानिक के सुझावो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 16-03-2016

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	113148032015176
MoEF/SG File No.	1(499)/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address.	I.D. PWD PMGSY PithoragarhPithoragarh
Amount(in Rs)	6932465/-

Amount in Words :Sixty-Nine Lakh Thirty-Two Thousand Four Hundred and Sixty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	15089113148032015176 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 16-03-2016

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	113148032015176
MoEF/SG File No.	1(499)/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address:	I.D. PWD PMGSY Pithoragarh Pithoragarh
Amount(in Rs)	6932465/-

Amount in Words :Sixty-Nine Lakh Thirty-Two Thousand Four Hundred and Sixty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	15089113148032015176 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print Back

2.10

(67)

प्रपत्र–36

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत फेज–XII में प्रस्तावित, सल्ला से सेल–रौतगढ़ मोटर मार्ग (7.450 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ~~सल्ला~~ स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
लो0नि0वि0, पिथौरागढ

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
लो0नि0वि0, पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड
लो0नि0वि0
पिथौरागढ

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

ग्राम- सेल पट्टी- सल्ला तहसील एवं जिला पिथौरागढ़
श्रेणी १०(४) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि

खाता सं०	खातेदार का नाम पिता/पति का नाम	फसली सन	खेत नम्बर	रकबा	है०	परिवर्तन सम्बन्धी आदेशों का सारांश	कि
1	2	3	4	5	6	7 – 12	13
६५	बंजर नाकाबिल आबाद		१	2.075	2.075		
			२	८०७॥=	1.563		
			३	५२-	1.044		
			४	५९१-	1.029		
			५	४६॥=	0.935		
			६	७८॥=	1.577		
			१६	१६०=	3.214		
			१७	१०१	1.026		
			१८	३२८=	6.582		
			१९	१८९१-	3.636		
			२१	९३	1.864		
			२३	४७१-	0.948		
			२५	९१=	0.130		
			२७	२८॥-	0.576		
			३५	१-	0.006		
			३७	॥	0.010		
			३९	४॥=	0.93		
			४१	१७=	0.343		
			आदि	आदि।			
			१३८/६६२६	१०९।=	2.195		
			२२९/६६२८	३८=	0.764		
			५५७३/६५३३	३५३-	7.082		
		योग	१५९	१५९८८=	30.224		

महोदय,
खतौनी नकल तैयार की,
(सुरेश सिंह)

जिला अधिकारी उत्तराखण्ड

जिलाधिकारी पिथौरागढ़

तहसीलदार पिथौरागढ़

मौका खसरा

ग्राम- सेला पट्टी खखरा तहसील एवं जिला पिथौरागढ़

विषय- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हुडुकी सिविल सोयम भूमि चयनित करने के सम्बन्ध में।

श्रेणी- १०(४) वृक्ष रहित [illegible] भूमि

खाता सं०	खातेदार का नाम/ पिता का नाम	खेत नम्बर	रकबा है०	प्रस्तावित भूमि		विवरण
				खेत नम्बर	रकबा है०	
1	2	3	4	5	6	7
६५	बंजर नाकाबिल भूमि	१	2.075	१	2.075	
		२	1.563	२	1.563	
		३	1.044	३	1.044	
		४	1.029	४	1.029	
		५	0.935	५	0.935	
		६	1.577	६	1.577	
		१६	3.214	१६	3.214	
		१७	1.026	१७	1.026	
		१८	6.582	१८	6.582	
		१९	3.636	१९	3.636	
		२१	1.864	२१ अ	1.691	
		२३	0.948	२२	0.948	
		२४	0.130	२४	0.130	
	योग	१३	25.623	१३	25.450	

महोदय,
खसरा तैयार किया।

(सुरेश गिरि)
राजस्व उप निरीक्षक सेला
तहसील एवं जिला पिथौरागढ़

तहसीलदार
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

Name of Work :- Salla to Sail motor road

Annexure-1

FORM – 1
Government of Uttarakhand
Office of the District collector : Pithoragarh

No. **Date :**

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Salla to Sail Motor Road (7.450 Km) under PMGSY in Pithoragarh district falls with in jurisdiction of Sail village in Munakot Tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.769 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure __to ______.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Encl.- As above.

उप जिला अधिकारी
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

Signature
(District Collector)
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— सल्ला से सेल-रौतगढ़ मोटर मार्ग (7.450 कि.मी.)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, मुनाकोट

उपखण्ड मुनाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत सल्ला से सेल-रौतगढ़ मोटर मार्ग परियोजना हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.389 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.38 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.769 हे0 वन भूमि) का सिं० ख०, (लो०नि०वि०) पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 15/10/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनुराग आर्य, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री अनुराग आर्य उपजिलाधिकारी —— अध्यक्ष
2— श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट —— सदस्य
3— श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी —— सदस्य / सचिव
4— श्रीमती [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र सेल —— सदस्य

क्षेत्र पंचायत सेल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सल्ला से सेल-रौतगढ़ मोटर मार्ग ———— परियोजना हेतु 4.769 हे0 वन भूमि सिंचाई खण्ड (लो० नि० वि०) पिथौरागढ़ ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मुनाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत सड़क से सेल गैतगाड़ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.769 है० वन भूमि .... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विण / मुनाकोट

Sub. Divisional O...
Didihat
Pithoragarh Fo...

परियोजना का नाम :– **जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत फेज–XII में प्रस्तावित, सल्ला से सेल–रौतगढ़ मोटर मार्ग (7.450 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– *सेल* तहसील :– *पिथैरागढ़* जिला :– *पिथैरागढ़*

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **पिथैरागढ़** के अन्तर्गत **सल्ला से सेल–रौतगढ़ मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य है0 आरक्षित वन भूमि, **3.389** है0 सिविल सोयम भूमि, 1.380 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **4.769** है0 वन भूमि का **प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **सेल** द्वारा दिनांक **8 / 8 / 2012** को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह की वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं है । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सेल** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **4.769** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव
ग्राम पं० वि० अ०
सेल ......
मुनाकोट (पिथौरागढ़)

ह0 / –
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सेल
प्रधान
वि0ख0 मुनाकोट

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

4

दि० 03/08/2012 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

दि० 3.8.2012 को ग्राम सभा सेल में एक खुली बैठक सम्पन्न कराई गयी जिसमें प्रधान मन्त्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण - बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।
जिसमें निम्न क्षेत्रीय जनता उपस्थित है।

1. होशियार सिंह
2. [signature]
3. रमेश सिंह
4. लक्ष्मन सिंह
5. जगत सिंह
6. लक्ष्मन सिंह
7. अशोक राम
8. कल्याण सिंह
9. मोहन सिंह
10. हजारी राम
11. प्रकाश राम
12. उमेद राम
13. [illegible]
14. गणेश राम
15. [signature]
16. रामे राम
17. किशन राम
18. अभय राम
19. प्रवीर सिंह
20. अरविन्द सिंह
21. उमेद राम
22.
23. रमेश राम
24. लाली देवी
25. [signature]
26. रमेश राम

P. C. Attested

[Stamp: ग्राम पंचायत सेल, प्रधान, वि०ख० मुनाकोट]

[signature]
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :–**जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सल्ला से सैल–रौतगढ़ मोटर मार्ग (7.450कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद –. पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित **सल्ला से सैल–रौतगढ़ मोटर मार्ग (7.450कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु 4.769 हे0 वनभूमि सिंचाई खण्ड.लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति पिथौरागढ़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति / वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

नोट :– उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण–पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– **जनपद पिथौरागढ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सल्ला से सैल–रौतगढ मोटर मार्ग (7.450कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
जिलास्तरीय स्तरीय समिति –पिथौरागढ़

उपखण्ड मूनाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत सल्ला से सैल–रौतगढ मोटर मार्ग (7.450कि0मी0) ~~नाप भूमि~~, 3.389 सिविल एंव सोयम वन भूमि, 0.00 हे0 आरक्षित वन, 1.380 हे0 वन पंचायत वन भूमि अर्थात कुल 4.769 हे0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत जिलास्तरीय समिति (जिला– पिथौरागढ़) की दिनॉक 15/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एच0सी0सेमवाल जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1–श्री एच0सी0सेमवाल, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष

2–डॉ0 इन्द्रपाल सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य

3–श्री श्याम लाल आर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

4–श्रीमती लीलावती देवी सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र 29 मर्सोली भाट सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सल्ला से सैल–रौतगढ मोटर मार्ग (7.450कि0मी0) परियोजना हेतु 4.769 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही हैं। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा एंव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

जिलाधिकारी अध्यक्ष (जिलाधिकारी पिथौरागढ़)	प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य (पिथौरागढ़)	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव (जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़)	श्रीमती लीलावती देवी जिला पंचायत सदस्य सदस्य जिला पंचायत 29 मर्सोली भाट(वड़ाबे) पिथौरागढ़(उत्तराखण्ड)

Name of Work :- Salla to Sail motor road

Annexure-1

FORM – 1
Government of Uttarakhand
Office of the District collector : Pithoragarh

No. **Date :**

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 4.769 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for **Construction of Sall to Sail Motor Road (7.450 Km)** under PMGSY in Pithoragarh district falls with in jurisdiction of Sail village in Munakot Tehsil.

It is further certified that :

S.No.		Remarks
1	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.769 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure __ to ______.	Not applicable as, there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.
2	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
3	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.

Encl.- As above.

उप जिला अधिकारी
पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

Signature
(District Collector)
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पियर्सन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ऑ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाष: 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 31 / 2015 / एफ0सी0 / 2651

दिनांक: 23/03/2016

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला–सैल से रौतगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.79 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/7789/2014 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 351/X-4-15/1(172)/2015 दिनांक 19.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/7789/2014 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 22.07.2015 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं / दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला–सैल से रौतगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.79 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 13.580 है0 सल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। **धनराशि का हस्तांतरण Online portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।**

5. सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

6. Minimum no. of trees will be felled which may not exceed 178 in any case. However, initially permission to fell only 146 trees will be granted by the State Forest Deptt. as proposed by the User Agency. The permission for felling of trees in excess of 146 will be given by DFO under exceptional circumstances under intimation to the Regional Office.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नही की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नही की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 13.580 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 178 से अधिक न हो।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम.एस. नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
आदेश पत्रावली।

(एम.एस. नेगी)
वन संरक्षक

संख्याः 984 /X-4/15/1(499)/2015

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

1347/3 PMGSY
2-12-15

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 07 नवम्बर, 2015

विषयः **जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला से सैल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.769 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या--984/1जी–FP/UK/ROAD/14803/2015 दिनांक 30 सितम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय **जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला से सैल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.769 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति,** भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0–11–09/98–एफ0 सी0, दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.538, है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूत सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनाराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,
Meenakshi
(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः 984 (1)/X-4/15/1(499)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
6. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
7. गार्ड फाईल।

पत्रांक: 1354 /317 M.O.S.Y./दिनांक 2015
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय उपखण्ड को सूचनार्थ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आज्ञा से,
(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव।